दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 06.01.2023

आ.प्र.अ. (वाणिज्यिक) 136/2022 एवं सि.वि. सं. 41441/2022 व 41443/2022

गोविंद सिंह .... अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सत्य ग्रुप प्रा. लिमिटेड तथा अन्य ....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में उपस्थित अधिवक्तागण:

अपीलार्थी हेतु: :श्री अभिनव शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण हेतु: :सुश्री कादम्बरी, श्री सोनू कुमार, श्री अमितेंद्र तिवारी, श्री साहिल खन्ना एवं सुश्री आयुषी, अधिवक्तागण

कोरम
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

निर्णय

न्या. विभु बखरु

1. अपीलार्थी, श्री गोविंद सिंह ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (एतद पश्चात **'ए और सी अधिनियम' द्वारा)** की धारा 37 के अंतर्गत वर्तमान अपील दायर की है, जिसमें विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.12.2021 के एक आदेश (एतद पश्चात '**आक्षेपित आदेश**') पर आक्षेप किया गया है, जिसके

अंतर्गत अपीलार्थी का आवेदन ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत [मध्य. सं. 16 का 2019 होने के नाते] दिनांक 17.01.2019 के एक माध्यस्थम् पंचाट (निर्णय) को अपास्त करते हुए(इसके बाद '**आक्षेपित पंचाट**') अस्वीकार कर दिया गया था।

<u>तथ्यात्मक संदर्भ</u>

2. जनवरी 2014 के महीने में, अपीलार्थी को विक्रय हेतु एक संपत्ति की उपलब्धता के संबंध में एक दलाल से एक संदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद, दिनांक 03.02.2014 को, अपीलार्थी ने श्री अंकुश चावला और श्री मनीष चावला (दलालों) को मैसर्स सत्य ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद **'प्रत्यर्थी कंपनी'**) द्वारा विकसित एक इमारत, जिसका नाम 'द हर्मिटेज' है, जिसकी धारक सं. टी8-804, सेक्टर-103 है, द्वारका गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, गुड़गांव (इसके बाद **'संपत्ति'**) में स्थित है, में एक फ्लैट बुक करने के लिए ₹ 50,000 की राशि का चेक दिया।

3. इसके बाद, दिनांक 30.06.2014 को, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी कंपनी ने संपत्ति के संबंध में एक समझौता (क्रेता करार) निष्पादित किया। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त क्रेता करार प्राप्त करने पर, उसने देखा कि फ्लैट की कीमत ₹92 लाख बताई गई थी, जो उसे पहले बताई गई ₹70 लाख की कीमत से बहुत अधिक थी। अपीलार्थी का दावा है कि उसने संपत्ति के क्रय हेतु लेनदेन रद्द करने की मांग की थी लेकिन उसे सूचित किया गया कि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि समपहृत कर ली जाएगी।

4. अपीलार्थी का दावा है कि दोनों पक्षकारगण एक छोटी इकाई के क्रय हेतु उक्त राशि हस्तांतरित करने पर सहमत हुए। दिनांक 29.08.2017 को पक्षकारगण के मध्य एक नया क्रेता करार निष्पादित किया गया था, अपीलार्थी का कहना है कि समझने की शक्ति के विपरीत, इसमें संपत्ति हेतु उसके द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि का समायोजन शामिल नहीं था। अपीलार्थी का दावा है कि वह दिनांक 29.08.2017 के

क्रेता करार में किए गए परिवर्तनों से सहमत नहीं था, किंतु उसे प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी का दावा है कि क्रेता करार पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रत्यर्थी कंपनी ने संपत्ति में अपेक्षित परिवर्तन लागू नहीं किए, इसलिए, वह संपत्ति के क्रय हेतु लेनदेन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था।

6. आक्षेपित निर्णय उपदर्शित करता है कि अपीलार्थी दिनांक 24.02.2019 को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसने मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद, अपीलार्थी और उसके साथ आए परोक्षी(प्रॉक्सी) अधिवक्ता कार्यवाही छोड़कर चले गए। अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के होते हुए भी, विद्वान मध्यस्थ ने एकपक्षीय कार्यवाही की और आक्षेपित पंचाट(निर्णय) दिया। उन्हें प्रत्यर्थी कंपनी के पक्ष में और अपीलार्थी के विरुद्ध पाया गया। आक्षेपित पंचाट(निर्णय) का प्रभावी भाग नीचे दिया गया है:

> "i. प्रत्यर्थी कंपनी और दावेदार के मध्य क्रेता करार दिनांक 29.08.2017 को रद्द/समाप्त किया गया।
>
> ii. दिनांक 30.06.2014 के क्रेता करार के अनुसार डेवलपर कंपनी उक्त इकाई के मूल विक्रय मूल्य का 20% समपहृत करने की हकदार है, जो दलाली और करों के प्रति प्रत्यर्थी कंपनी को हुई हानि के लिए बयाना राशि और कटौती के रूप में है।
>
> iii. दावेदार ने एक-पक्षीय कार्यवाही की है और अपने हिस्से के मध्यस्थता शुल्क का भुगतान नहीं किया है और इसलिए प्रत्यर्थी कंपनी दावेदार के हिस्से के मध्यस्थता शुल्क को 50,000/- रुपये और मुकदमेबाजी लागत में 50,000/- रुपये से अधिक और प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा दलाली और कर(रों) के प्रति हुई हानि के लिए बयाना राशि और कटौती के ऊपर कटौती करने की हकदार है।
>
> iv. प्रत्यर्थी कंपनी को उपरोक्त पैरा (ii) और (iii) में उल्लिखित कटौती के बाद दावेदार को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
>
> v. दावेदार का हरमिटेज, सेक्टर -103, गुड़गांव, हरियाणा में टॉवर -09 में दूसरी मंजिल पर आवासीय इकाई संख्या 03 में कोई अधिकार, दावा और हित नहीं छोड़ा जाएगा और प्रत्यर्थी कंपनी किसी भी व्यक्ति को इसे बिक्री/आवंटित करने के लिए स्वतंत्र होगी।"

<u>कारण और निष्कर्ष</u>

7. इस न्यायालय के विचाराधीन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित पंचाट (निर्णय) इस आधार पर अपास्त किया जा सकता है कि विद्वान मध्यस्थ, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने में अपात्र था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पाया था कि विद्वान मध्यस्थ ने एकमात्र मध्यस्थ के रूप में अपनी नियुक्ति स्वीकार करने से पहले आवश्यक प्रकटीकरण करके ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों का अनुपालन किया था। अपीलार्थी ने उक्त नियुक्ति को चुनौती नहीं दी थी और इसलिए, विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति ए एंड सी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार थी।

8. यह स्पष्ट है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करने में विफल रहा - क्या विद्वान मध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने में अपात्र था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि विद्वान मध्यस्थ को प्रत्यर्थी कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा एकपक्षीय रूप से नियुक्त किया गया था, जो अनुज्ञेय नहीं था। वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं था और इसलिए, आक्षेपित पंचाट(निर्णय) अपास्त किया जा सकता था।

9. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री कादंबरी ने आग्रहपूर्वक प्रतिविरोध किया है कि विद्वान मध्यस्थ को अपीलार्थी के कहने पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रतिविरोध किया कि अपीलार्थी ने न तो मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई आपत्ति जताई थी और न ही कार्यवाही के दौरान उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी और इसलिए, आक्षेपित पंचाट(निर्णय) दिए जाने के बाद उन्हें ऐसा करने से निवारित कर दिया गया था। उन्होंने ***कनोडिया इंफ्राटेक लिमिटेड बनाम डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (2021) 284 डीएलटी 722*** में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को भी संदर्भित किया; और उक्त निर्णय के आधार पर प्रतिविरोध

किया गया कि माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय) दिए जाने के बाद अपीलार्थी हेतु ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न उठाना विवृत नहीं है।

10. अपीलार्थी का प्रतिविरोध है कि उसने मध्यस्थ की एकपक्षीय रूप से नियुक्ति के संबंध में आपत्ति जताई है। उसका यह भी प्रतिविरोध है कि जिस प्रकार से कार्यवाही की गई, उसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और उपदर्शित किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 प्रत्यर्थी कंपनी के पक्ष में पक्षपाती था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्यर्थी कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रतिविरोध का खंडन करते हैं।

11. अपीलार्थी ने दिनांक 13.01.2018 के एक नोटिस द्वारा मध्यस्थता करार (निर्माता क्रेता करार दिनांक 30.06.2014 में मध्यस्थता खंड) का आह्वान किया। उक्त नोटिस अपीलार्थी और एक श्री सुमित सिंह द्वारा जारी किया गया एक सामान्य नोटिस था, जिसमें उनके द्वारा किए गए संबंधित करारों के संबंध में विवाद उठाया गया था। उक्त नोटिस अदक्ष रूप से अक्षरित है; यद्यपि, इसने स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी कंपनी को यह ध्यान देने के लिए कहा कि अपीलार्थी अपनी चिंताओं को एक मध्यस्थ द्वारा संबोधित करने के लिए तैयार था। अपीलार्थी ने उक्त नोटिस में प्रत्यर्थी कंपनी के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाए थे।

12. इसके बाद, प्रत्यर्थी कंपनी के प्रबंध निदेशक ने पक्षकारगण के मध्य मध्यस्थता करार (मध्यस्थता खंड) को संदर्भित करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 को एक पत्र लिखा और क्रेता करार के संबंध में दोनों पक्षकारगण के मध्य उत्पन्न विवादों का निपटान करने हेतु प्रत्यर्थी सं. 2 को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अपनी इच्छा को उपदर्शित किया। प्रत्यर्थी सं. 2, एक वकालत कर रहा अधिवक्ता है, ने नियुक्ति स्वीकार कर ली और घोषणा की कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में किसी भी उचित संदेह को जन्म दे।

13. इस अपील में शामिल मुख्य प्रश्न को संबोधित करने के उद्देश्य से, स्वीकृत तथ्यों पर आगे बढ़ना उपयुक्त होगा। माना जाता है कि, प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रत्यर्थी कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा एकपक्षीय रूप से नियुक्त किया गया था। यह भी माना गया है कि विवाद उत्पन्न होने के बाद लिखित रूप में कोई करार नहीं हुआ था, जिसके अंतर्गत पक्षकारगण ने पक्षकारगण के मध्य विवादों के निपटान हेतु प्रत्यर्थी सं.2 को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की थी।

14. ***टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनेर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेडः2017 8 एससीसी 377*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर माना था कि जो व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में अपात्र है, वह भी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अपात्र है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संविवाद को ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के संदर्भ में संबोधित किया गया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण, जो उपरोक्त को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है, नीचे दिया गया है:-

> "50. सबसे पहले, हम खंड (डी) से निपटेंगे। इसमें कोई कलह नहीं है कि अधिनियम की धारा 12(5) के आधार पर, यदि कोई भी व्यक्ति जो सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने में अपात्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है और न ही हो सकता है, सातवीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा के लिए, निगम हेतु प्रबंध निदेशक विधि के संचालन से अपात्र हो गए हैं। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह रुख है कि एक बार जब प्रबंध निदेशक अपात्र हो जाता है, तो वह नामांकन हेतु भी अपात्र हो जाता है। उक्त रुख का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी हेतु विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह संयाचना की गई है कि अपात्रता नामांकित व्यक्ति तक नहीं बढ़ सकती है यदि वह निगम से नहीं है और इससे भी अधिक जब वहाँ उपयुक्त और अपेक्षित प्रकटन हो। हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि मौजूदा मामले में हमें न तो प्रकटन, न वस्तुनिष्ठता और न ही ऐसी किसी अन्य परिस्थिति की चिंता है। हम केवल इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं कि क्या प्रबंध निदेशक, विधि के निष्पक्ष संचालन के कारण अपात्र हो जाने के बाद भी, एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए पात्र हैं। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि जब दो पक्षकार हों, तो एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है और दूसरा दूसरे को नियुक्त कर सकता है। वह बिल्कुल अलग स्थिति है। पुनरावृत्ति की कीमत पर यदि कोई खंड है जिसमें पक्षकारगण को अपने संबंधित मध्यस्थ को

नामित करने की आवश्यकता होती है, तो नामांकन करने के उनके अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उस परिस्थिति में वास्तव में जिस चीज पर सवाल उठाया जा सकता है वह प्रक्रियात्मक अनुपालन और अधिनियम और उसके साथ संलग्न अनुसूचियों के अंतर्गत प्रदान किए गए मानदंडों के आधार पर उनके मध्यस्थ की योग्यता है। लेकिन, यहां एक ऐसा मामला है जहां प्रबंध निदेशक "नामित एकमात्र मध्यस्थ" है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है जो उसके स्थान पर मध्यस्थ हो सकता है। इस प्रकार, सूक्ष्म भेद है। इस संबंध में, हमारा ध्यान ***उड़ीसा राज्य बनाम भूमि रिकॉर्ड और बंदोबस्त आयुक्त मामले*** में दो-न्यायाधीशगण की पीठ के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है, उक्त मामले में, प्रश्न उठा कि क्या राजस्व बोर्ड अपने प्रतिनिधि द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सकता है। उक्त प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 173, पैरा 25)

"25. हमें यह ध्यान देना होगा कि आयुक्त जब बंदोबस्त अधिनियम, 1958 की धारा 33 के अंतर्गत उसे प्रत्यायोजित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसके द्वारा पारित आदेश को राजस्व बोर्ड के आदेश के रूप में माना जाता है, न कि आयुक्त के रूप में उसकी क्षमता में आयुक्त के आदेश के रूप में। यह स्थिति इस न्यायालय के दो निर्णयों से स्पष्ट है जिसका हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे। उक्त निर्णयों में से पहला निर्णय इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा *रूपचंद बनाम पंजाब राज्य* मामले में दिया गया निर्णय है। उस मामले में, यह बहुमत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां राज्य सरकार ने पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (अधिनियम के एकीकरण और निवारण, 1948) की धारा 41 (1) के अंतर्गत, धारा 21 (4) के अंतर्गत निहित अपनी अपीलीय शक्तियों को एक "अधिकारी" को प्रत्यायोजित किया था, ऐसे अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश राज्य सरकार द्वारा स्वयं पारित किया गया आदेश था और धारा 42 के भीतर "इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं था" और राज्य सरकार द्वारा संशोधित नहीं किया गया था। यह बताया गया कि उस अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत राज्य द्वारा संशोधन की शक्तियों के प्रयोग के उद्देश्य से, संशोधित किए जाने वाला आदेश किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार में पारित आदेश होना चाहिए, न कि उस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए, राज्य सरकार धारा 42 के अंतर्गत उस मामले के अभिलेख मांगने की हकदार नहीं थी, जिसका उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले एक अधिकारी द्वारा निपटान किया गया था।"

(मूल पर ज़ोर दिया गया)

53. उपरोक्त प्राधिकारियों को इस प्रस्ताव के स्थापन हेतु प्रशस्त किया गया है कि यदि किसी अपात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ के नामांकन की अनुमति दी जाती है, तो यह स्वयं द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के समान होगा। अपीलार्थी के

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपात्रता उसकी मध्यस्थता करने या किसी नामांकित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थता कराने की शक्ति की जड़ पर प्रहार करती है।

54. ऐसे संदर्भ में, संविवाद का आधार यह होगा कि क्या प्रबंध निदेशक जैसा कोई अपात्र मध्यस्थ किसी मध्यस्थ को नामित कर सकता है, जो अन्यथा योग्य और सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, हमें न तो वस्तुनिष्ठता की चिंता है और न ही व्यक्तिगत सम्मान की। हम केवल प्रबंध निदेशक के अधिकार या शक्ति से चिंतित हैं। हमारे विश्लेषण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि एक बार मध्यस्थ विधि के संचालन से अपात्र हो गया है, तो वह किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 12/5) में निहित चिरभोग के अनुसार मध्यस्थ अपात्र हो जाता है। यह विधि में अप्रकल्पनीय है कि जो व्यक्ति वैधानिक रूप से अपात्र है, वह किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब अवसंरचना ध्वस्त हो जाता है, तो अधिरचना का ढहना निश्चित है। बिना न्याधार के कोई इमारत नहीं बन सकती। या इसे अलग ढंग से कहें तो, एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान खो जाने के बाद, किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार संधार्य नहीं है और हम भी ऐसा ही कहते हैं।"

15. ***पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी व अन्य बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेडः (2020) 20 एससीसी 760*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने ***टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में पहले के निर्णय को संदर्भित किया और अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में जहां मध्यस्थता खंड में प्रावधान है कि पक्षकार या उसके अधिकारी एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, अपात्रता का तत्व इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होगा। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:-

"21. लेकिन, हमारे विचार में टीआरएफ लिमिटेड [टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 377: (2017) 4 एससीसी (सीआईवी) 72] निर्णय का पैरा 50 यह दर्शाता है कि यह न्यायालय इस मुद्दे से चिंतित था, "क्या प्रबंध निदेशक, विधि के संचालन द्वारा अपात्र होने के बाद, क्या वह अभी भी मध्यस्थ को नामित करने के योग्य है" उसमें संदर्भित अपात्रता, विधि के संचालन के परिणामस्वरूप थी, जिसमें विवाद में या उसके परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाला व्यक्ति, न केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु

अपात्र होना चाहिए, परंतु किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने हेतु भी पात्र नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति होने के कारण विवाद समाधान हेतु कोई मार्ग निश्चित करने में कोई भूमिका नहीं मिलनी चाहिए। पैराग्राफ में अगले वाक्य, आगे दर्शाते हैं कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्षकारगण अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थों को नामित कर सकते थे, पूर्ण रूप से एक भिन्न स्थिति पाई गई। कारण स्पष्ट है कि अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करने से एक पक्षकार को जो भी लाभ मिलेगा, वह दूसरे पक्षकार के साथ समान शक्ति द्वारा प्रति-संतुलन हो जाएगा। परंतु, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्षकार को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में विवादचर्या के समाधान हेतु निर्धारण करने या चार्ट बनाने में हमेशा विशिष्टता का तत्व होगा। स्वाभाविक रूप से, जिस व्यक्ति को विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि है, उसके पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3) द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे टीआरएफ लिमिटेड [टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 377: (2017) 4 एससीसी (सीआईवी) 72] में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता प्राप्त है"

"28. टीआरएफ लिमिटेड [टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 377: (2017) 4 एससीसी (सीआईवी) 72] में, प्रत्यर्थी के प्रबंध निदेशक ने इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को उपरोक्त खंड 33 (घ) के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था, जिसके बाद अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 11 (6) के साथ पठित धारा 11 (5) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। अभिवचन और इस मुद्दे पर अपील को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था कि क्या प्रबंध निदेशक एक मध्यस्थ को नामित कर सकते हैं, अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया जैसा कि ऊपर बताया गया है। जहां तक नई नियुक्ति के मुद्दे का संबंध है, इस न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया, जैसा कि निर्णय के पैरा 55 से पता चलता है। इन प्राधिकारियों के आलोक में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तत्काल आवेदन पर विचार करने में कोई प्रति बाधा नहीं है।"

16. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उन मामलों में जहां किसी पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने में अपात्र है, प्रतिपक्ष को ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु न्यायालय से अनुरोध करने से रोका नहीं जाता है।

17. ***पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी व अन्य बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद, ***प्रोड्डूटर केबल टीवी डिजी सर्विसेज बनाम सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेडः (2020) 267 डीएलटी 51*** में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी पक्ष के लिए एकपक्षीय रूप से मध्यस्थ नियुक्त करना अननुज्ञेय होगा। ए एंड सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के संदर्भ में, एक कर्मचारी विधि के आधार पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु अपात्र होगा, जैसा कि ***टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) और ***पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी व अन्य बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसी अपात्रता ऐसे अधिकारियों द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर भी लागू होगी जो अन्यथा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में अपात्र हैं।

18. ऊपर उल्लिखित विधि को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा एकपक्षीय रूप से नियुक्त किए गए विद्वान मध्यस्थ ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में अपात्र था।

19. यह प्रतिविरोध कि अपीलार्थी ने अपने आचरण से विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति करने का अपना अधिकार अभित्यक्त कर दिया है, भी गुणागुण रहित है। यह प्रश्न कि क्या कोई पक्षकार अपने आचरण से, ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत अपना अधिकार अभित्यक्त कर सकती है, अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है। ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (2019) 5 एससीसी 755*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत कोई भी अभित्यजन केवल तभी मान्य होगा जब यह लिखित रूप में एक स्पष्ट करार द्वारा हो। आचरण या अन्यथा ए एंड सी

अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत अधिकारों के किसी भी निहित अभित्यजन को लागू करने की कोई परिधि नहीं है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:-

> "20. यह तब हमें इस मामले के तथ्यों पर धारा 12 (5) के प्रावधान की प्रयोज्यता पर लाता है। अधिनियम की धारा 4 के विपरीत, जो आचरण द्वारा आपत्ति करने के अधिकार के अभित्यजन से संबंधित है, धारा 12(5) का परंतुक केवल तभी लागू होगा जब पक्षकारगण के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद, पक्षकारगण लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता का अभित्यजन कर देते हैं। इस कारण से, अधिनियम की धारा 7 की सादृश्यता पर आधारित तर्क को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। धारा 7 मध्यस्थता करारों से संबंधित है जो लिखित रूप में होना चाहिए, और फिर बताती है कि ऐसे करार दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं जो ऐसे करारों का अभिलेख प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, धारा 12(5) "लिखित रूप में व्यक्त करार" को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "लिखित रूप में करार व्यक्त करें" शब्दों में किए गए करार को संदर्भित करता है, न कि उस करार के विपरीत जिसका अनुमान आचरण से लगाया जाता है। यहां संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 9 महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें कहा गया हैः
>
> > "9. वचन, अभिव्यक्त और विवक्षित। -जहां तक किसी वचन का प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में की जाती है, वहां तक वचन अभिव्यक्त कहा जाता है। जहां तक ऐसा प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अलावा अन्यथा की जाती है, वचन विवक्षित माना जाता है।
>
> इसलिए यह आवश्यक है कि लिखित रूप में एक "अभिव्यक्त" करार हो। यह करार एक ऐसी सहमति होनी चाहिए जिसके द्वारा दोनों पक्षकारगण, इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कि श्री खान मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने में अपात्र हैं, फिर भी आगे बढ़ें और कहें कि उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए उन पर पूरा विश्वास और भरोसा है..."

20. इस प्रकार, इस प्रश्न का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है कि क्या अपीलार्थी ने विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति उठाई थी। भले ही यह मान लिया जाए कि अपीलार्थी ने विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई आपत्ति उठाए बिना मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया था, यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवृत नहीं है कि उसने ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के अंतर्गत अपना अधिकार अभित्यक्त कर दिया

था। यद्यपि यह महत्वपूर्ण नहीं है, अभिलेख यह उपदर्शित करता है कि अपीलार्थी ने मध्यस्थ के रूप में प्रत्यर्थी सं.2 की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शेष प्रश्न यह है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय) जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु अपात्र है, वैध है या पक्षकारगण हेतु बाध्यकारी है। स्पष्ट है, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय) जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु अपात्र है, उसे माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय)नहीं माना जा सकता है। मध्यस्थ की अपात्रता उसके क्षेत्राधिकार के मूल तक जाती है। स्पष्ट रूप से माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिया गया एक माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय) जिसमें निहित क्षेत्राधिकार का अभाव है, को वैध नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण में, आक्षेपित पंचाट(निर्णय) को पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार रहित होने के कारण अपास्त किया जा सकता है।

22. ***कनोडिया इन्फ्राटेक लिमिटेड बनाम डालमिया सीमेंट (भारत)सीमितः(2021) 284 डीएलट. 722*** में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि मध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु अपात्र था, इस आधार पर कि पक्षकारगण ने मध्यस्थ कार्यवाही में भाग लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा था कि ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता क्योंकि उक्त मामला इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में गया था, जिसमें ए एंड सी अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।

23. हम इस बात पर सहमत होने में असमर्थ हैं कि ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के निर्णय को उपरोक्त आधार पर सुभिन्न किया जा सकता है। उक्त निर्णय में आधिकारिक रूप से अभिनिर्धारित किया

गया था कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के परंतुक के संदर्भ में, ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के अंतर्गत मध्यस्थ की अपात्रता को केवल लिखित में एक स्पष्ट करार द्वारा अभित्यक्त किया जा सकता है और पक्षकारगण के आचरण से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार, इस तथ्य को कि पक्षकारगण ने माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष भाग लिया था, मध्यस्थ(मध्यस्थों) की अपात्रता पर आपत्ति करने के उनके अधिकारों के अभित्यजन के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम यह प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं कि जबकि इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग पंचाट(निर्णय) देने से पहले किया जा सकता है, परंतु इसके बाद यह प्रविरत हो जाएगा।यदि मध्यस्थ एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में अपात्र है, तो माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिया गया माध्यस्थम् पंचाट(निर्णय) क्षेत्राधिकार रहित होगा।

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपील को अनुज्ञात किया जाता है। आक्षेपित आदेश और आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि आक्षेपित पंचाट(निर्णय) को इस आधार पर अपास्त किया जा रहा है कि विद्वान मध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में अपात्र था, इसलिए पक्षकारगण को किसी अन्य माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष अपने दावों/प्रति-दावों को फिर से उठाने से निवारित नहीं किया जा सकता है।

न्या. विभु बखरु

न्या. अमित महाजन

06 जनवरी, 2023
सीएच

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकदमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*